सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक - 10.01.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 10.01.2021 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट सम्भल द्वारा जिला बदर किए गये 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गुन्नौर डां0 के0 के0 सरोज के कुशल नेतृत्व मे चलाये जा रहे अपराधियो की धरपकड के अभियान मे दिनांक 10.1.2021 को प्र0नि0 श्री संजीव कुमार द्वारा मय पुलिस टीम की मदद से अपर जिला मजिस्ट्रेट सम्भल द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किये गये तीन अभियुक्त **1.मुनव्वर, 2.वारिस, 3.दीपचन्द** को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना गुन्नौर पर निम्न अभियोग पंजीकृत किये गये।

विवरणः-

दिनांक 28.11.2020 को अभियुक्त 1. मुनव्वर, 2. वारिस तथा दिनांक 18.10.2020 को दीपचन्द्र को श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0रा) सम्भल महोदय के आदेशानुसार 6 माह के लिए धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर किया गया था, इनकी तामील बजात खास करायी गयी थी इनको इनकी स्वेच्छा अनुसार जिला की सीमा से बाहर छोडा गया था, जो आज अपने जिले की सीमा के अन्दर मिले। अभियुक्त 1. मुनव्वर, 2. वारिस को उ0नि0 श्री योगराज सिंह द्वारा मय हमराही की मदद से झुकैरा रोड मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त वारिस के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया। उ0नि0 श्री पवन कुमार मय हमराही की मदद से अभियुक्त दीपचन्द को मंडी समिती के गेट बबराला से एक अदद तमंचा 12 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. मुनव्वर पुत्र अल्लादीन ग्राम सैजना मुस्लिम थाना गुन्नौर जनपद सम्भल
2. वारिस पुत्र मुनव्वर नि0 ग्राम सैजना मुस्लिम थाना गुन्नौर जनपद सम्भल
3. दीपचन्द पुत्र रघुनाथ नि0ग्राम ईटउआ थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0स0-013/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 बनाम दीपचन्द
2.मु0अ0स0-014/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम दीपचन्द
3.मु0अ0स0-015/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 बनाम मुनव्वर
4.मु0अ0स0-016/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 बनाम वारिस

5.मु0अ0स0-017/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम वारिस

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा 12 बोर
2. एक अदद चाकू नाजायज

पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

2.उ0नि0 श्री योगराज सिंह थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

3.उ0नि0 पवन कुमार थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

4. हे0का0338 धीर सिंह थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

5.कां0 144 केशव कुमार थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

जनपद सम्भल में अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत की गयी कार्यवाहीः-

थाना असमोलीः- 1-मु0अ0सं0 005/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त रामकिशोर पुत्र रामसरन निवासी ग्राम सैंदरी थाना असमोली जनपद संभल को उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा शिव मंदिर के पास ग्राम सेंदरी से 20 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

2-मु0अ0सं0 007/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त पवन कुमार पुत्र सुरेश पाल सिंह निवासी ग्राम अलिया थाना असमोली जनपद संभल को उपनिरीक्षक सतीश कुमार मोरल द्वारा ग्राम सैनी वाली मढ़ीवाड़ा के पास से 20 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

3-मु0अ0सं0 008/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त विकास कुमार पुत्र हेतराम जाटव निवासी ग्राम दरियापुर थाना असमोली जनपद संभल को उपनिरीक्षक संजय शर्मा द्वारा तख्तपुर चौराहा सिरौली जाने वाले रास्ते से 15 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना चन्दौसीः- मु0अ0सं0 016/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में जागन पुत्र भगीरथ निवासी पथरा थाना चंदौसी जनपद संभल को कॉन्स्टेबल 712 सुमित कुमार द्वारा ग्राम तारापुर मंदिर के पीछे से 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली सम्भलः- मु0अ0सं0 016/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि में अभियुक्त अंकुल पुत्र शीशपाल निवासी नूरियोसराय थाना संभल जनपद संभल को उपनिरीक्षक चाँदवीर सिंह द्वारा नूरियो सराय से 20 लीटर अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना नखासाः- मु0अ0सं0 013/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त रंजीत पुत्र सतवीर निवासी ग्राम देहपा थाना नखासा जनपद संभल को उपनिरीक्षक शिव प्रभात सिंह द्वारा देहपा चौराहे से 25 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना बहजोईः- मु0अ0सं0 020/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र यादराम निवासी ग्राम मझौला थाना बहजोई जनपद सम्भल उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह द्वारा जंगल ग्राम मझौला से 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

जिलाबदर अपराधी अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार थाना बहजोईः-

मु0अ0सं0 022/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में जिलाबदर अभियुक्त सोनू पुत्र रामजीमल निवासी ग्राम आनन्दपुर कस्बा व थाना बहजोई जनपद सम्भल को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ उ0नि0 विनोद कुमार द्वारा गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना बहजोई पर मु0अ0सं0 021/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

सट्टा लगाते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बहजोईः-

मु0अ0सं0 017/2021 धारा 13 जी एक्ट (सट्टा) में अभियुक्त तम्यक पुत्र संजय कुमार निवासी मौ0 ऊपरकोट कस्बा व थाना बहजोई जनपद सम्भल को 590 रूपये व सट्टा पर्ची के साथ इस्लामनगर चौराहे से तथा मु0अ0सं0 019/2021 धारा 13 जी एक्ट (सट्टा) में अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ शंभू पुत्र अभय प्रताप सिंह निवासी मौ0 स्टेशन रोड कस्बा व थाना बहजोई जनपद सम्भल को 490 रूपये व सट्टा पर्ची के साथ रेलवे स्टेशन के सामने से गिरफ्तार किया गया।